राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 804/2025

रूपेन्द्र कुमार शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) जयपुर।
3. उपवन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर।
4. जितेन्द्र कुमार जाट, रेंजर ग्रेड–।। रेंज बंध बारेठा, उप वन संरक्षक वन्यजीव भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025

अपील संख्या :– 765/2024

रूपेन्द्र कुमार शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) जयपुर।
3. उपवन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर।
4. जितेन्द्र कुमार जाट, रेंजर ग्रेड–II, उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024

अपील संख्याः– 1654/2024

जितेन्द्र कुमार जाट —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनपाल प्रमुख) जयपुर।
3. उपवन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर।
4. रूपेन्द्र कुमार शर्मा, रेंजर ग्रेड–II रेंज बंध बरेठा, उप वन संरक्षक वन्यजीव भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.04.2024

आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

निजी प्रत्यर्थी सं.–4 की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया। निजी प्रत्यर्थी श्री जितेन्द्र कुमार के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा वर्तमान अपील में पक्षकार बनाया जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील संख्या 804/2025 के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में रेंजर ग्रेड द्वितीय के पद पर रेंज बंध बारेठा, वन्यजीव, उपवन संरक्षक, भरतपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को रेंज बंध बरेठा, उप वन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर से ग्राम विस्थापन, उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक–द्वितीय, आरटीआर, करौली (स्थानांतरणाधीन) रेंज भरतपुर, डीसीएफ भरतपुर में स्थानांतरित किया गया। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा किया गया था जिसे चुनौती देते हुए अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 765/2024 प्रस्तुत की गई, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा दिनांक 13.03.2024 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया।

ऐसे मामलों में अपील लम्बित होने के बावजूद स्थानान्तरण किया जाना अजय कुमार दाना वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुचित माना गया है। अपीलार्थी की अपील लम्बित होने के बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलौच्य आदेश के द्वारा पुनः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा भरतपुर कर दिया गया, जो उक्त विधि एवं नियमों के विपरीत है। उनका यह भी कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1654/2024 प्रस्तुत की गई, जिसमें अधिकरण द्वारा कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 15.03.2024 की क्रियान्विति को स्थगित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 दोनों ही एक ही स्थान पर कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी कारण के नियम एवं विधि विरूद्ध किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथावत स्थान पर कार्य करने के निर्देश दिये जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा किया गया है जबकि पूर्व में जारी आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया था और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बाद में दिनांक 22.02.2024 को एक और आदेश जारी किया गया जिसके तहत निजी प्रत्यर्थी को रेंज बंध बरेठा, डीसीएफ वन्यजीव,

भरतपुर में पदस्थापित किया गया। अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2024 की क्रियान्विति को स्थगित करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में अंतरिम आदेश दिनांक 13.03.2024 जारी किया गया। निजी प्रत्यर्थी को अंतरिम आदेश के बाद कार्यमुक्त किया गया। निजी प्रत्यर्थी ने भी एक अपील संख्या 1654/2024 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.04.2024 को निजी प्रत्यर्थी के पक्ष में पारित किया गया। उक्त स्थगन आदेश के आधार पर निजी प्रत्यर्थी रेंज बंध बरेठा उपवन संरक्षक, वन्यजीव भरतपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को नये सिरे से आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा स्थानान्तरित किया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 ने दिनांक 17.01.2025 को अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किये गये आलौच्य आदेश विधि एवं नियमानुसार जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार का नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाया जावे।

अपील संख्या 765/2024 में राजकीय विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की गई कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 20 के तहत प्रशासन दुरस्त करने हेतु किया गया है। अपीलार्थी का आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा स्थानान्तरण किया गया है। तद्उपरान्त दिनांक 22.02.2024 द्वारा उसका स्थानान्तरण किया गया है, जो प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किया गया है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवाएं कहा पर ली जानी है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियम विरूद्ध है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपील संख्या 1654/2024 में राजकीय विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की गई कि अपीलार्थी को दिनांक 15.03.2024 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है और आदेश दिनांक 20.02.2024 के क्रम में भारमुक्त करने की कार्यवाही उपवन संरक्षक, भरतपुर द्वारा की गई है तथा आदेश दिनांक 22.02.2024 से अपीलार्थी को वापस उनके अधीन पदस्थापित किये जाने उपरान्त अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है, जो नियमानुसार सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट है कि अपीलार्थी वर्तमान में रेंजर ग्रेड द्वितीय के पद पर रेंज बंध बारेठा, वन्यजीव, उपवन संरक्षक, भरतपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को रेंज बंध बरेठा, उप वन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर से ग्राम विस्थापन, उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक–द्वितीय, आरटीआर, करौली (स्थानांतरणाधीन) रेंज भरतपुर, डीसीएफ भरतपुर में स्थानांतरित किया गया। जहां तक अपीलार्थी का उक्त आलौच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 22.02.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है

कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आटीआर करौली में किया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई और अधिकरण द्वारा दिनांक 13.03.2024 को अंतरिम आदेश जारी किया गया है। इसी प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के संबंध में आदेश दिनांक 20.02.2024 जारी किया गया और विभाग द्वारा उक्त आदेश निरस्त करते हुए पुनः 22.02.2024 को आदेश जारी किया गया, जिसमें निजी प्रत्यर्थी को यथा स्थान पदस्थापित कर दिया गया। परन्तु आदेश दिनांक 15.03.2024 को निजी प्रत्यर्थी को पूर्व के आदेश की पालना में कार्यमुक्त किया गया, जिसे अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई और अधिकरण द्वारा उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित करते हुए दिनांक 16.04.2024 को अंतरिम आदेश पारित किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश जारी होने पर दोनों ही कार्मिक एक ही स्थान पर पदस्थापित है। इस प्रकार एक पद पर दो कार्मिक कार्यरत है और ऐसी स्थिति में एक ही पद पर दो कार्मिक पदस्थापित होने के कारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 जारी किया गया है, जो प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर जनहित को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज बंध बारेठा उपवन संरक्षक भरतपुर से रेंज भरतपुर डीसीएफ भरतपुर किया गया है। अतः अपीलार्थी का स्थानान्तरण भरतपुर से भरतपुर ही निकटतम स्थान पर किया गया है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवा कहा पर ली जानी है। अतः हम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से जारी किया गया आलौच्य स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की विधि एवं नियम विरूद्धता नहीं पाते है और ऐसे मामले में अधिकरण हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। अतः अपील संख्या 804/2025 एवं 765/2024 खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील संख्या 804/2025 एवं 765/2024 मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है तथा अपील संख्या 765/2024 में अधिकरण द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 13.03.2024 प्रावकाश (Vacate) किया जाता है।

अपील संख्या 1654/2024 में अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 16.04.2024 की पुष्टि (Confirm) की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार नये सिरे से अपील संख्या 1654/2024 के अपीलार्थी जितेन्द्र कुमार जाट का स्थानान्तरण/पदस्थापन करने के लिए स्वतंत्र है।

इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 804/2025 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)